आयोजनेत्तर-राज्य सेक्टर

संख्या-14/2017/407/चौदह-4-2017-36/2016टी.सी.

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक, 14 मार्च, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-60 वन विभाग-आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746-दस-2016-231/2016 22 मार्च, 2016 के क्रम में निदेशक वित्त, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-ब-119/21-5(1)/2016-17 दिनांक 18.01.2017 एवं पत्र संख्या-ब-168/21-5(1)/2016-17 दिनांक 07.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुदान सं0-60-वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत धनराशि रू0 224.00 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख मात्र) निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 हजार में)
राजस्व लेखा -	
4059-लोख निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय जीव-आयोजनेत्तर	
01-कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
04-बन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित वन विश्राम भवनों का जीर्णोदधार	
24-वृहद् निर्माण कार्य	**10000**
25-लघु निर्माण कार्य	**7000**
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	**3000**
42-अन्य व्यय	**2400**
योग-	**22400**

(रू0 दो करोड़ चौबीस लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट/ मैनुअल और फाइनन्शियल हैण्ड बुक के नियम अथवा अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन को वर्तमान आदेशानुसार शासन के अथवा सक्षम अधिकारियों की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित हो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए इसका व्यय नयी मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय। अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों, एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है। इसका व्यय नयी मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

3- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः स्वीकृति धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

6- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाये और स्वीकृतियां/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा।

7- नियंत्रक अधिकारी बजट मैनुअल पैरा-88 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी विनियोग के प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

9- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्रों दिनांक 18.02.2017 एवं 07.03.2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रतिनिहित अधिकारों एवं निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-407(1)/चौदह-4-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रिय भवन, अलीगंज, लखनऊं
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8. वन अनुभाग-1/2/3/5।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in